रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 148] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 12, 1970/श्रावण 21, 1892

No. 148] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 12, 1970/SRAVANA 21, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 12th August, 1970

G.S.R. 1177.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Company Law) No. 91-Customs, dated the 6th June, 1964, the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts each of the raw materials for the plastic industry specific in the Schedule hereo annexed, when imported into India, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), as is in excess of 25 per cent *ad valorem*:—

Provided that the Assistant Collector of Customs shall, unless he is satisfied that the raw materials specified in the said Schedule, are required for the plastic industry, require the importer to execute a bond in such form and in such sum and with such surety as may be specified by the Assistant Collector of Customs.

SCHEDULE

Serial No	Relative Item No. in the First Schedule to the Indian Tariff Act, 1934.	Name of the raw material
1.	28	Styrene
2.	82(3)	Cellulose plastics, excepting cellulose acetate.
3.	82(3)	Vinyl resins

[No. 76/F. No. 15/4/69-Cus I.]

J. DATTA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1970

सा० का० नि० 1177.—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और कम्पनी विधि विभाग) की अधिसूचना सं० 91—सीमाशुल्क, तारीख 6 जून, 1964 को अधिक्रांत करते हुए, केन्द्रीय सरकार यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है एतद्द्वारा प्लास्टिक उद्योग के लिये उस प्रत्येक कच्चे माल को, जो इससे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, तब, जब वह भारत में आयात किया जाए, उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उस भाग के, जो भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उतने से छूट देती है जो 25 प्रतिशत मूल्यानुसार के आधिक्य में है :

परन्तु सहायक सीमाशुल्क कलक्टर जब तक कि उसका यह समाधान न हो गया हो कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट कच्चा माल प्लास्टिक उद्योग के लिए अपेक्षित, है आयातकर्ता से ऐसे प्ररूप में और ऐसी राशि के लिये ऐसी प्रतिभूति सहित जो सहायक सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, एक बन्धपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करेगा ।

अनुसूची

क्र० सं०	भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की प्रथम अनुसूची में सबद्ध मद सं०	कच्चे माल का नाम
1	28	स्टाइरीन
2	82(3)	सेलुलोज एसिटेट के सिवाय सेलुलोस प्लास्टिक
3	82(3)	वाइनिल रेजिन

[सं० 7/फा सं 15/4/69-सीमा शुल्क I]

ज्योतिर्मय दत्त,

उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970